RCT 304/22
राज्य विरूद्ध मोतीलाल+1

न्यायालय राजेंद्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पथरिया जिला दमोह
दां.प्र.क.–304 / 22
अपराध क.444 / 22
संस्थित दिनांक–28.10.22

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र पथरिया जिला दमोह

....................अभियोजन

/ / विरूद्ध / /
1–मोतीलाल पिता खूबचंद पटेल उम्र 60 वर्ष
2–रामकिशन पिता मोतीलाल पटेल उम्र 30 वर्ष
सभी निवासी ग्राम बोबई थाना पथरिया जिला दमोह

...............अभियुक्तगण

उपार्पण आदेश
आज दिनांक 04.11.2022 को पारित किया गया

1– **मोतीलाल+1** इस आदेश के द्वारा आपराधिक प्रकरण कमांक 304 राज्य विरूद्ध धारा **302** भादवि के तहत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह की ओर उपार्पित किया जा रहा है।

2– अभियोजन के मामले का संक्षेप सार यह है कि, वह ग्राम बोबई में रहती है, खेती किसानी व घरू कार्य करती है, आज दिनांक 04.08.22 के दोपहर करीब 3 बजे वह अपने पति संतोष पटेल के साथ नबादा वाले हार में उरदा की निदाई कर रही थी, उसी समय उसके ससुर मोतीलाल पटेल आये और पथरिया जाने के लिये मोटरसाईकिल की चाबी उसके पति संतोष से मांगने ले तो उसके पति संतोष ने मोटरसाईकिल की चाबी देने से मना किया तो ससुर मोतीलाल पटैल लडकी बिटिया की गंदी गंदी गालियां देने लगे, उसके पति संतोष ने गालियां देने से मना किया तो ससुर मोतीलाल ने अपने बडे लडके रामकिशन को आवाज देकर बुलाया जो जेठ राम किशन पटेल हाथ में कुल्हाडी एवं लाठी लेकर आया और राम किशन पटेल ने कुल्हाडी अपने पिता मोतीलाल पटेल को दे दी और जेठ राम किशन पटेल उसके पति संतोष को लाठी से मारपीट करने लगा, जिससे उसके पति को दोनों कानों, पीठ में एवं बायें आंख के उपर चोटें आईं, जिससे उसके पति संतोष जमीन में गिर गये, उसी समय ससुर मोतीलाल ने उसके पति संतोष को एक कुल्हाडी मारी, जो उसके पति के सिर में सामने तरफ लगी कटकर खून निकलने लगा, फिर एक कुल्हाडी बांए हाथ की भुजा में मारी, जो उसके पति का हाथ कटकर धड से अलग हो गया, ससुर मोतीलाल एवं जेठ रामकिशन दोनों ने जान से मारने की नियत से उसके पति संतोष के साथ मारपीट की है, फिर उसने गांव के लोधी को फोन पर बुलाया था, जो मौका पर उजयार लोधी आ गये थे, उसने सारी घटना वाली थी। फिर उसने 100 नंबर को फोन लगाया था, जो 100 नंबर से वह अपने संतोष को लेकर सरकारी अस्पताल पथरिया से लेकर आयी है। उक्त रिपोर्ट पर अपराध असल नंबर क 444 / 22 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संतोष काछी की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी, जो संतोष काछी की पंचनामा कार्यवाही जिला अस्पताल दमोह में की गयी मर्ग क 73 / 22 धारा 174 कायम किया गया शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की गयी। जो प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया गया। प्रकरण में मोतीलाल चौकी पर अपने लडका संतोष का कटा हुआ हाथ एवं रक्तरंजित कुल्हाडी लेकर आया जो पूछताछ पर बताया कि उसके द्वारा ही अपने लडके का हाथ कुल्हाडी से काटा है जो तुरंत ही कटे हुये हाथ का पंचनामा तैयार कर पथरिया अस्पताल भेजा गया बाद मोतीलाल के बताए अनुसार धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम दिनांक 04.08.22 को तैयार कर लोहे की कुल्हाडी जप्त की गयी। बाद आरोपी मोतीलाल को गिरफतार किया गया। रिपोर्ट उपरांत फरियादिया

04/11/22
(रा...)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पथरिया, जिला-दमोह (म.प्र.)

श्रीमती यशोदा बाई एवं साक्षी श्याम रानी काछी, साक्षी उजयार, देवा, आरक्षक क्र 469 सौरभ के बताए अनुसार इनके कथन लिये गये। बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी एवं लकडी का टुकडा को साक्षीगण के समक्ष जप्त किये गये। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर लोहे का डडा दिनांक 06.08.22 को जप्त किया गया। गिरफतारी का कारण बताकर कुल्हाडी एवं डंडा, सादा मिट्टी जप्त किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3– अभियोगपत्र एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध बनना प्रतीत होता है, उक्त अपराध के विचारण का अन्यन्तः क्षेत्राधिकार माननीय सत्र न्यायालय दमोह को होने से प्रकरण श्रीमान की ओर उपार्पित किया जा रहा है।

4– प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 207 एवं 209 द.प्र.सं. की सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियुक्तगण को अभियोग पत्र की नकलें निःशुल्क प्रदाय की जाकर आदेश पत्रिका में पावती ली गयी।

5– अभियुक्तगण को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के समक्ष दिनांक 15.11.22 को 11 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

6– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं।

7– प्रकरण के उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक दमोह, नायब नाजिर पथरिया एवं थाना प्रभारी पथरिया को दी जावे।

8– प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय दमोह के समक्ष आगामी पेशी दिनांक 15.11.22 को नियत की गयी है।

9– प्रकरण में प्रस्तुत मामला रिमाण्ड पत्रावली संलग्न कर विधिवत् संधारित कर आगामी पेशी दिनांक से तीन दिन पूर्व माननीय सत्र न्यायालय को प्रेषित किया जावे एवं तदानुसार प्रकरण का परिणाम दर्ज हो।

मेरे निर्देश पर टंकित।

Burman
राजेंद्र बर्मन 4/11/22
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)